भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3935

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः राष्ट्रीय जलवायु निधि

3935. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को खाद्य उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की जानकारी है औऱ यदि हां, तो भारतीय किसानों और खाद्य उत्पादन पर जलावयु परिवर्तन के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाते हेतु कृषि को सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय जलवायु निधि के गठन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि अनुकूलता बढ़ाने के लिए ओन-फार्म निवेश का लाभ उठाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी हां, जलवायु परिवर्तन खाद्य उत्पादकता और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए संबंधित जोखिमों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि में नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक परियोजना को कार्यन्वित कर रहा है। अंतर-सरकारी पैनल और जलवायु परिवर्तन (आईआईपीसीसी) प्रोटोकॉल का उपयोग करके मुख्य रूप से कृषि जिलों के लिए जिला स्तरीय जोखिम और संवेदनशीलता मूल्यांकन किया गया है। 109 जिलों को बहुत उच्च और 201 को अत्यधिक संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनआईसीआरए कृषि पर जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करता है और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करता है और बढ़ावा देता है।

(ख): मंत्रालय में कृषि के लिए राष्ट्रीय जलवायु फंड गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने में सहायता के लिए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कई स्कीम शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल स्कीम सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। समेकित बागवानी विकास मिशन और कृषि वानिकी राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलता को बढ़ावा देते हैं।

सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, फसल और बागवानी पद्धतियों को बढ़ाने और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसे केंद्र समर्थित पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से कृषि उत्पादकता को आगे बढ़ा रही है। भंडारण सुविधाओं में सुधार के लिए, सरकार, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना को कार्यन्वित कर रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों और गोदामों के निर्माण या नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान करती है। एआईएफ फार्म-गेट और एग्रीगेशन पॉइंट परियोजनाओं के लिए बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

*****